



## आदेश-पत्रक

(देखें अभिलेख हस्तक 1941 का नियम-126)

आदेश-पत्रक-ता0.....से.....तक.....

जिला गढ़वा.....विविध वाद सं0. 04.....सन 2020-21।

स का प्रकार - अधिन करने के संबंध में।

आदेश की क्रम सं० और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित।
1	2	3
<p>28.07.2020</p>	<p>आवेदकगण उमाशंकर प्रसाद, अनिल कुमार, सुधीर प्रसाद, सभी के पिता दयानन्द प्रसाद वो निलम कुमारी, पिता दयानन्द प्रसाद वो वृजमानी देवी, पति दयानन्द प्रसाद, ग्राम खाला के द्वारा आवेदन दिया गया है कि दफा 87 के तहत वाद संख्या 719/2001 के द्वारा जमाबंदी कायम करने का सहायक बन्दोबस्त पदाधिकारी, पलामू कैम्प कोर्ट नगर उंटारी द्वारा डिग्री प्राप्त है। राजस्व उप निरीक्षक को आदेश दिया जाता है कि अंचल निरीक्षक के माध्यम से जाँच प्रतिवेदन एक सप्ताह के अन्दर प्रस्तुत करें। अभिलेख दिनांक 28.07.2020 को प्रस्तुत करें।</p> <div style="text-align: right;">                       अंचल अधिकारी                      धुरकी।                 </div>	
<p>28.07.2020</p>	<p>अभिलेख उपस्थापित किया गया। हल्का कर्मचारी का जाँच प्रतिवेदन अंचल निरीक्षक के माध्यम से प्राप्त हुआ। हल्का कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक ने प्रतिवेदित किया है कि 87 का फैसला आवेदकगण के पक्ष में है तथा हल्का कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक ने जमाबंदी कायम करने की अनुशंसा की है। जिसका विवरण निम्न प्रकार है।</p> <p style="text-align: center;"><b>भूमि का विवरण निम्न प्रकार है :-</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. निलम कुमारी, पिता दयानन्द प्रसाद ग्राम खाला के खाता संख्या 389, प्लॉट 3611, 1345, 1344, 1342, 1308 रकबा क्रमशः 0.82, 0.07, 0.44, 0.41, 0.32 कुल रकबा 2.06 एकड़, लगान 6.25 अलावे शेष</li> <li>2. वृजमानी देवी, पति दयानन्द प्रसाद, ग्राम खाला के खाता संख्या 389 प्लॉट 1327/1 रकबा 0.57 एकड़, लगान 0.50 अलावे शेष</li> <li>3. अनिल कुमार वगैरे पिता दयानन्द प्रसाद, अंश समान तथा ग्राम खाला के खाता संख्या 389 प्लॉट 1329, 1343/1, 3481, 3482 रकबा क्रमशः 0.03, 0.19, 0.43, 0.82 कुल रकबा 1.47 एकड़, लगान 4.02 अलावे शेष</li> <li>4. दयानन्द प्रसाद, पिता नवरंग प्रसाद, ग्राम खाला के खाता संख्या 389 प्लॉट 1335, 3206/1, 3378, 3473/1, 1370, 3215, 3272, 3380, 779, 3450, 3445, 3447 रकबा क्रमशः 0.12, 0.82, 0.10, 0.31, 1.33, 0.41, 0.38, 0.11, 0.36, 3.65, 1.04, 0.25 कुल रकबा 8.88 एकड़, लगान 61.13 अलावे शेष।</li> </ol> <p>अतः हल्का कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक के जाँच प्रतिवेदन के आधार पर तथा सहायक बन्दोबस्त पदाधिकारी, पलामू कैम्प कोर्ट नगर उंटारी द्वारा धारा 87 के तहत वाद संख्या 719/2001 में पासित आदेश के आलोक में उपरोक्त भूमि की जमाबंदी आवेदकगण के नाम से कायम करने की <del>सुझाव</del> दी जाती है।</p> <div style="text-align: right;">                       अंचल अधिकारी                      धुरकी।                 </div>	